

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन

विषय - दिनेश पिता मांगीलाल जैन नि. महिदपुर रोड के प्रकरण की अद्यतन स्थिति के बाबत । तारांकित प्रश्न क्रं. 598 द्वारा प्रश्नकर्ता श्री बहादुरसिंह चौहान

पूरक जानकारी -

दिनेश पिता मांगीलाल निवासी महिदपुर रोड के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहे अवेध उत्खनन के प्रकरण में एस.एलपी. क्रं. 28993/2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर केंस स्टेटस से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार तिथियां नियत हुई है ।

1-05.09.2019 से बढ़कर 30.09.2019

2-25.10.2019

3-15.11.2019

4-09.12.2019

प्रकरण में पेशी दिनांक 05.09.2019 से बढ़कर दिनांक 30.09.2019 की तिथी नियत होने की सूचना सामलक मौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल/माननीय विधायक श्री बहादुरसिंह चौहान विधानसभा क्षेत्र 213 राम पोस्ट झारडा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन को कार्यालयीन पत्र क्रं. 1250-51/खनिज/2019-20 से अवगत कराया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।

प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 25.10.2019 नियत होने की स्थिति से शासन/संचालक मौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रं. 1711-12/खनिज/2019-20 उज्जैन दिनांक 11.11.2019 से अवगत कराया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।

दिनांक 25.10.2019 को सुनवाई को टेंटिटीव डेट लगाई थी, जिसके संबंध में शासकीय अधिवक्ता श्री कोशिक से दूरभाष पर चर्चा की गई उनके द्वारा बताया गया कि शासन की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः भौतिक रूप से उपस्थित होने हेतु आवश्यकता होने पर पृथक से सूचना दी जावेगी, उक्त जानकारी से वरिष्ठ अधिकारी को दी गई है। उक्त चर्चा के परिणाम में शासकीय अधिवक्ता के अनुसार आवश्यकता नहीं होने से पेशी दिनांक 15.11.2019 को उपस्थित नहीं हुए।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर केंस स्टेटस से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 09.12.2019 नियत है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अधिवक्ता से सतत संपर्क किया जा रहा है। निर्धारित तिथी पर प्राप्त आदेश का पालन किया जाएगा।

  
कलेक्टर

जिला उज्जैन

  
(राजेश कुमार कौल)  
अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन  
खनिज साधन विभाग